भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1129
बुधवार, 29 जुलाई, 2026 (7 श्रावण 1948 (शक)) को उत्तरार्थ

भारत टैक्सी के तहत ड्राइवर

1129 श्री कार्तिकेय शर्माः

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहकारी-संचालित 'भारत टैक्सी' पहल के व्यावसायिक शुभारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत राष्ट्रव्यापी स्तर पर ऑनबोर्ड किए गए चालक भागीदारों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस सेवा का 500 शहरों और कस्बों में विस्तार करने की समग्र समय-सीमा क्या है, और टियर-2 तथा टियर-3 शहरी क्लस्टरों के लिए नियोजित चरणबद्ध रोलआउट अनुसूची का विशिष्ट ब्यौरा क्या है; और

(ग) शून्य-कमीशन राजस्व मॉडल का संरचनात्मक ब्यौरा क्या है, और पंजीकृत सहकारी सदस्यों को प्रदान किए जाने वाले स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा सहित सामाजिक सुरक्षा लाभों के परिचालन ढांचे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) भारत टैक्सी, जो सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (STCL), बहु-राज्य सहकारी समिति के तहत सहकारिता-नेतृत्व वाला डिजिटल ऐप मोबिलिटी प्लेटफार्म है, का आधिकारिक शुभारंभ दिल्ली-एनसीआर, गुजरात तथा महाराष्ट्र में किया जा चुका है।19 जुलाई, 2026 की स्थिति के अनुसार, देशभर में भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म से कुल 7.97 लाख सारथी (ड्राइवर-सदस्य) जुड़े हैं। इनमें से 2.55 लाख सारथी दिल्ली-एनसीआर, 1.01 लाख गुजरात तथा 71,095 महाराष्ट्र में पंजीकृत हैं।

(ख) सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड (STCL) द्वारा संचालित भारत टैक्सी की सेवाओं का अन्य शहरों एवं राज्यों में विस्तार परिचालन संबंधी आवश्यकताओं तथा अपेक्षित अनुमोदनों के अधीन है। सेवाओं का विस्तार प्रचालन तैयारियों, सारथियों की उपलब्धता, सांविधिक अपेक्षाओ को पूरा करने और

संबंधित राज्य सरकारों, सहकारी संस्थानों और अन्य हितधारकों के साथ समन्वय जैसे कारकों के आधार पर किया जाता है।

(ग) भारत टैक्सी शून्य-कमीशन मॉडल पर काम करती है, जिसके तहत प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुक की गई राइड के लिए सारथी द्वारा अर्जित किराए से कोई कमीशन नहीं काटा जाता है। प्लेटफॉर्म की प्रौद्योगिकी, एप्लिकेशन रखरखाव और विस्तार पर खर्च को पूरा करने के लिए सारथी से मामूली राइड सब्सक्रिप्शन/प्लेटफॉर्म उपयोग शुल्क अलग से लिया जाता है। इस कारण सारथी को देय किराया प्रभावित नहीं होता है।

सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के सदस्यों के रूप में नामांकित सारथी सहकारी समिति की उप-विधियों और बहु-राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार इसके सदस्यों को उपलब्ध लाभों के हकदार हैं ।

सहकारी समिति अपने सदस्यों के लिए कल्याण और वित्तीय सहायता तक पहुंच की सुविधा भी प्रदान करती है। इसमें रियायती दरों पर स्वास्थ्य और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, एसबीआई मुद्रा ऋण सहित संस्थागत ऋण और बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वाहन वित्तपोषण की सुविधा शामिल है । इसके अलावा, सारथी को डिजिटल प्लेटफॉर्म, ग्राहक सेवा, सड़क सुरक्षा और यात्री सुरक्षा के प्रयोग से परिचित कराने के लिए समय-समय पर अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
